(460)

114

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक एफ.3(54)नविवि/3/2011 पार्ट

जयपुर, दिनांक 19 FEB 2013

आदेश

मंत्रीमण्डल एम्पावर्ड समिति की षष्ठम बैठक दिनांक 25.12.2012 को लिये गये निर्णय के अनुसरण मे समसंख्यक आदेश दिनांक 31.12.2012 के द्वारा छोटे वाणिज्यिक भूखण्डों के नियमन हेतु पृथक से विशेष विनियम तैयार किये जाने हेतु निम्नांकित अधिकारियों की समिति गठित की गयी थी :–

1. सलाहकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर–संयोजक
2. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर–सदस्य
3. निदेशक नगर आयोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर–सदस्य
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर–सदस्य।

मंत्री मण्डलीय एम्पावर्ड समिति की सातवी बैठक दिनांक 12.02.2013 को लिये गये निर्णय के अनुसरण में यह निर्देश दिये जाते है कि उक्त समिति बनाये जाने वाले विशेष विनियमों में विचार कर निम्नांकित बिन्दु को भी शामिल करेगी :–

"राजस्थान आवासन मण्डल की योजनाओं में जो क्षेत्र नगरपालिकाओ में हस्तान्तरित हो चुके है और जहां निर्माण होकर गैर–आवासीय उपयोग हो रहा है उन आवासीय परिसरों का शहरी भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के प्रावधानों के अन्तर्गत गैर–आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों को पालना करते हुए किस प्रकार और किस स्तर पर किया जा सकता है।"

उक्त समिति को एक सप्ताह में उक्त विनियम तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते है। समिति की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग द्वारा लिया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(आर.के.पारीक)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. सलाहकार, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, नगर आयोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव- द्वितीय

(390)